न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/142 (प्राथमिक डिक्री) दायरा दिनांक : 15.09.2023

उनवान

1. राजेन्द्रकुमार पिता रायसिंह, उम्र 52 वर्ष, जाति मीणा
2. नरेशकुमार पिता रायसिंह, उम्र 37 वर्ष, जाति मीणा
3. कोशल्याबाई पुत्र रायसिंह, उम्र 39 वर्ष, जाति मीणा
4. भूलीबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 43 वर्ष, जाति मीणा
5. भारतीबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 34 वर्ष, जाति मीणा
6. रानीबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 41 वर्ष, जाति मीणा
7. रामकन्याबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 54 वर्ष, जाति मीणा
8. सन्तोषबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 46 वर्ष, जाति मीणा
9. रामप्यारी बाई पत्नी रायसिंह, उम्र 76 वर्ष, जाति मीणा, निवासीगण कोटडी रोड़, पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज.

.... अपीलांट

बनाम

1. किशन सिंह उर्फ रामकिशन पिता देवाराम उर्फ देवीसिंह, जाति मीणा (मृतक)

1/1 कमलाबाई बेवा किशन सिंह, उम्र 70 वर्ष जाति मीणा, निवासी पिड़ावा

1/2 शान्तिबाई उम्र 52 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी जगदीश मीणा, जाति मीणा निवासी छत्रपुरा पांचाखेडी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

1/3 सुमित्रा बाई उम्र 48 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी राकेश मीणा, जाति मीणा, निवासी टगर मोहल्ला भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

1/4 दिनेश सिंह पुत्र किशन सिंह, उम्र 45 वर्ष, जाति मीणा, निवासी कोटडी रोड पिड़ावा थाने के पीछे, पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

1/5 रेखा उम्र 43 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी कृष्णा, जाति मीणा, निवासी छत्रपुरा पांचाखेडी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

1/6 संजय पुत्र किशन सिंह, उम्र 36 वर्ष, जाति मीणा, निवासी कोटडी रोड पिड़ावा, थाने के पीछे पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज.

1/7 निर्मला उम्र 32 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी नन्दलाल, जाति मीणा, निवासी अमृतखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज

2. कंचनबाई बैवा दोलतसिंह, जाति मीणा
3. कृष्णाबाई पुत्री दोलतसिंह पत्नी रामप्रसाद, जाति मीणा
4. मन्जुबाई पुत्री दोलतसिंह पत्नी गोपाललाल, जाति मीणा, निवासीगण कोटडी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज
5. मनोहरसिंह पिता दोलतसिंह, जाति मीणा, निवासी पिड़ावा, तहसील पिड़ावा हाल–टगर मोहल्ला भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ राज.
6. मोहनसिंह पिता दोलतसिंह, जाति मीणा, निवासी कोटड़ी रोड़ पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज.
7. कैलाश पिता रामसिंह, जाति मीणा, निवासी कोटडी रोड़ पिडावा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8. गायत्रीबाई पुत्री रामसिंह पत्नी चेनाराम, जाति मीणा, निवासी सालेडा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज.
9. गीताबाई पुत्री रामसिंह पत्नी प्रकाशचन्द, जाति मीणा, निवासी पेटभर, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज.
10. दुर्गाबाई पुत्री रामसिंह पत्नी बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी मोड़ी, तहसील सुसनेर,
    जिला आगर मालवा म. प्र.
11. पदमाबाई पुत्री रामसिंह पत्नी सुरेश चंद, जाति मीणा, टगर मोहल्ला भवानीमण्ड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ राज.
12. भगवतीबाई पुत्री रामसिंह पत्नी रामगोपाल, जाति मीणा, निवासी बडबेला, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज.
13. जगदीश पिता बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी कोटड़ी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज.
14. राजू पिता बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी पिड़ावा कोटड़ी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा पुराना, जिला झालावाड़ राज.
15. जसौदाबाई बैवा बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी कोटड़ी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा पुराना, जिला झालावाड़ राज.
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2023/143 (फाइनल डिक्री) दायरा दिनांक : 15.09.2023

उनवान

2. राजेन्द्रकुमार पिता रायसिंह, उम्र 52 वर्ष, जाति मीणा
2. नरेशकुमार पिता रायसिंह, उम्र 37 वर्ष, जाति मीणा
3. कोशल्याबाई पुत्र रायसिंह, उम्र 39 वर्ष, जाति मीणा
4. भूलीबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 43 वर्ष, जाति मीणा
5. भारतीबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 34 वर्ष, जाति मीणा
6. रानीबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 41 वर्ष, जाति मीणा
7. रामकन्याबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 54 वर्ष, जाति मीणा
8. सन्तोषबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 46 वर्ष, जाति मीणा
9. रामप्यारी बाई पत्नी रायसिंह, उम्र 76 वर्ष, जाति मीणा, निवासीगण कोटडी रोड़, पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज.

.... अपीलांट

बनाम

1. किशन सिंह उर्फ रामकिशन पिता देवाराम उर्फ देवीसिंह, जाति मीणा (मृतक)

1/1 कमलाबाई बेवा किशन सिंह, उम्र 70 वर्ष जाति मीणा, निवासी पिड़ावा

1/2 शान्तिबाई उम्र 52 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी जगदीश मीणा, जाति मीणा निवासी छत्रपुरा पांचाखेडी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

1/3 सुमित्रा बाई उम्र 48 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी राकेश मीणा, जाति मीणा, निवासी टगर मोहल्ला भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

1/4 दिनेश सिंह पुत्र किशन सिंह, उम्र 45 वर्ष, जाति मीणा, निवासी कोटडी रोड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पिड़ावा थाने के पीछे, पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

1/5 रेखा उम्र 43 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी कृष्णा, जाति मीणा, निवासी छत्रपुरा पांचाखेडी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

1/6 संजय पुत्र किशन सिंह, उम्र 36 वर्ष, जाति मीणा, निवासी कोटडी रोड पिड़ावा, थाने के पीछे पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज.

1/7 निर्मला उम्र 32 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी नन्दलाल, जाति मीणा, निवासी अमृतखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज

2. कंचनबाई बैवा दोलतसिंह, जाति मीणा
3. कृष्णाबाई पुत्री दोलतसिंह पत्नी रामप्रसाद, जाति मीणा
4. मन्जुबाई पुत्री दोलतसिंह पत्नी गोपाललाल, जाति मीणा, निवासीगण कोटडी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज
5. मनोहरसिंह पिता दोलतसिंह, जाति मीणा, निवासी पिड़ावा, तहसील पिड़ावा हाल–टगर मोहल्ला भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ राज.
6. मोहनसिंह पिता दोलतसिंह, जाति मीणा, निवासी कोटड़ी रोड़ पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज.
7. कैलाश पिता रामसिंह, जाति मीणा, निवासी कोटडी रोड़ पिडावा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज.
8. गायत्रीबाई पुत्री रामसिंह पत्नी चेनाराम, जाति मीणा, निवासी सालेडा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज.
9. गीताबाई पुत्री रामसिंह पत्नी प्रकाशचन्द, जाति मीणा, निवासी पेटभर, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज.
10. दुर्गाबाई पुत्री रामसिंह पत्नी बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी मोड़ी, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा म. प्र.
11. पदमाबाई पुत्री रामसिंह पत्नी सुरेश चंद, जाति मीणा, टगर मोहल्ला भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ राज.
12. भगवतीबाई पुत्री रामसिंह पत्नी रामगोपाल, जाति मीणा, निवासी बडबेला, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज.
13. जगदीश पिता बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी कोटड़ी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज.
14. राजू पिता बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी पिड़ावा कोटड़ी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा पुराना, जिला झालावाड़ राज.
15. जसौदाबाई बैवा बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी कोटड़ी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा पुराना, जिला झालावाड़ राज.
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री हुकम चन्द कुमावत अभिभाषक अपीलांट की ओर से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 13, 14, 15 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 01.08.2025

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 424/2005 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.08.2008 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 11.02.2009 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 54ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पिड़ावा, तहसील पिड़ावा की आराजी खाता संख्या नई 391 पुराना 381 के खसरा नं. 82 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 81 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 83 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 93 रकबा 3 बीघा खसरा नं. 169 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 171 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 172 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 179 रक्बा 10 बिस्वा, खसरा नं. 185 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं. 194 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं. 195 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.08.2008 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 11.02.2009 से वाद वादी स्वीकार कर प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2023/142 (प्राथमिक डिक्री) के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जैरकार अपील डिक्री निर्णय संग्रहसार एवं प्रस्तुत दस्तावेज के विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स/प्रतिवादी नं. 01 द्वारा पेश साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। अपीलान्ट्स/प्रतिवादी नं. 01 काउन्टर वाद पेश करने से पिछले लगभग 50 वर्षों से काबिज होने पर भी इस तथ्य को नजर अन्दाज कर प्रारम्भिक डिक्री निर्णय पारित किया गया है। इस कारण जैर कार अपील प्रारम्भिक डिक्री निर्णय निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 के अनुसार खाता संख्या 391 में दर्ज आराजी कुल खसरा किता 11 कुल क्षेत्रफल/ रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा के पारिवारिक सेटलमेन्ट होकर बंटवारा में 1/5 भाग प्रतिवादी नं. 01 मृतक रायसिंह पिता देवीसिंह जो अपीलान्ट्स 01 लगायत 08 के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पिता तथा 09 के पति को वाद पेश करने से लगभग 50 वर्ष पूर्व ही कब्जे काश्त में मिले खसरा नम्बर 169 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा नं. 171 क्षेत्रफल 01 बीघा 19 बिस्वा का 1/2 भाग तथा खसरा नं. 81, 82, 83 का 1/5 भाग पर कब्जा निरन्तर रहा इस बाबत ही प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया था जिस पर मृतक प्रतिवादी नं. 01 ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया। कब्जा निरन्तर अपीलान्ट्स का चल रहा है तथा वक्त प्रारम्भिक डिक्री निर्णय भी प्रतिवादी नं. 01 एवं परिवार के सदस्यों का था। इस तथ्य को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। इस कारण जेरकार प्रारम्भिक डिक्री निर्णय अपील निरस्त होने योग्य है। प्रारम्भिक डिक्री निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी नं. 01 के द्वारा पेश काउन्टर वाद इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया की खसरा नं. 169, 171, 81, 82, 83 बाबत कब्जा होना, ऋण चुकाना, कुआँ खुदवाना बाबत कथन तो किया परन्तु दस्तावेज या स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किये इसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है क्योंकि प्रतिवादी नं. 01 ने अपने बयान माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ दर्ज करवाये हैं जिसमे प्रतिवादी नं. 01 ने काउन्टर वाद के समस्त वर्णित कथनों को लिपिबद्ध करवाया है तथा वादी का उक्त सशपथ बयानों का खण्डन भी नहीं किया गया है इस कारण प्रतिवादी नं. 01 के बयानों पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास नहीं कर कानूनी भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30/08/2008 को डिक्री पारित कर खातेदारान के हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारा करने हेतु बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जो विधि के अनुसार गलत है क्योंकि प्रतिवादी नं. 01 (मृतक) ने काउन्टर वाद पेश किया था। इस कारण माननीय न्यायालय को विधिवत सुनवाई के लिए काउन्टर वाद के आधार पर विवाद्यक विरचित किया जाना विधि के अनुसार आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने काउन्टर वाद के अनुसार विवाद्यक विरचित नहीं किया जाकर भारी कानूनी भूल की है तथा अधीनस्थ न्यायालय का प्रारम्भिक डिक्री निर्णय विरचित किये गये विवाद्यकों के अनुसार भी प्रत्येक विवाद्यक का अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण एवं निर्धारण नहीं कर कानूनी भूल की है। इस कारण जैरकार अपील प्रारम्भिक डिक्री/निर्णय निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी नं. 01 रायसिंह पिता देवाराम उर्फ देवीसिंह मीणा का स्वर्गवास हो गया है उनकी मृत्यु के पश्चात मृतक वैधवारिसान उत्तराधिकारी अपीलान्ट्सगण है। इनके अतिरिक्त और कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है उक्त प्रारम्भिक डिक्री/निर्णय से मृतक प्रतिवादी नं. 01 रायसिंह एवं उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट्स प्रभावित पक्षकार हैं तथा मौके पर विवादित आराजी का कब्जा जिसका प्रतिदावा प्रतिवादी नं. 01 ने माननीय न्यायालय में दिनांक 08/12/2005 को प्रस्तुत किया है इन खसरा नम्बरान क्षेत्रफल भाग पर अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त पिछले लगभग 50 वर्षो से निरन्तर अखण्ड़ित चला आ रहा है जिसे क्षण मात्र को भी प्रारम्भिक डिक्री/निर्णय अथवा अन्तिम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री/निर्णय पारित होने के पश्चात भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त खण्डित नहीं किया है। इस कारण जैरकार अपील प्रारम्भिक डिक्री/निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलान्ट्स अपील प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कि जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा के प्रकरण सं0 424/2005 में पारित प्रारम्भिक डिक्री/निर्णय दिनांक 30/08/2008 बउनवान किशन सिंह उर्फ रामकिशन बनाम रायसिंह वगैरा में पारित प्रारम्भिक डिक्री/निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रतिवादी नं. 01 द्वारा पेश प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट्स के पक्ष में रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध डिक्री किया जावे तथा विकल्प में यह भी निवेदन है कि माननीय न्यायालय यदि उचित समझे तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा के प्रकरण सं0 424/2005 में पारित प्रारम्भिक डिक्री/निर्णय दिनांक 30/08/2008 को निरस्त कर वाद पुनः सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा को रिमाण्ड (प्रतिप्रेषित) कर आवश्यक विवाद्यक विरचित कर पूर्ण सुनवाई बाद डिक्री निर्णय पारित करने के आदेश प्रदाान किया जाने की कृपा करें।

अपील संख्या 2023/143 (फाइनल डिक्री) के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जैरकार अपील डिक्री निर्णय संग्रहसार एवं प्रस्तुत दस्तावेज के विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री में तहसीलदार पिड़ावा को आदेश देकर बंटवारा प्रस्ताव खातेदारान के हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारा करने हेतु बंटवारा प्रस्ताव पेश करने का आदेश दिया गया था। परन्तु तहसीलदार पिड़ावा द्वारा बंटवारा प्रस्ताव हिस्से अनुसार कुल किता 11 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा का बंटवारा प्रस्ताव प्रत्येक खसरा नम्बर के 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 कर सम्पूर्ण रकबा भूमि के पांच हिस्से कर दिये गये जबकि अधीनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री में कब्जे अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाना था। इस कारण तहसीलदार पिड़ावा द्वारा प्रस्तुत गलत बंटवारा को अधीनस्थ न्यायालय ने सही मानकर अन्तिम डिक्री पारित की है। इस कारण जैरकार अपील अन्तिम डिक्री निर्णय खारिज होने योग्य है। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर तहसीलदार पिड़ावा उपस्थित नहीं रहे हैं तथा बंटवारा प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया है बंटवारा प्रस्ताव पर निम्न टिप्पणी दर्ज की गई मान्यवर उपरोक्त बंटवारा रिकॉर्ड के अनुसार किया गया है समस्त वादी, प्रतिवादियों को बुलाया गया वो बंटवारे से सहमत नहीं है एवं हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। उक्त टिप्पणी बंटवारा प्रस्ताव की पुश्त पर दर्ज की गई जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई बंटवारा रिकॉर्ड पर लिया गया तथा दिनांक 11/02/2009 को बिना आपत्ति के बंटवारे के लिए अन्तिम डिक्री पारित की गई उक्त समस्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति में की गई है उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस कारण जैरकार अपील अन्तिम डिक्री निरस्त होने योग्य है। कब्जा निरन्तर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलान्ट्स का चल रहा है तथा वक्त प्रारम्भिक डिक्री निर्णय भी प्रतिवादी नं. 01 एवं परिवार के सदस्यों का था। इस तथ्य को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। इस कारण जेरकार अपील अन्तिम डिक्री निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार कि जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा के प्रकरण सं0 424/2005 में पारित अन्तिम डिक्री/निर्णय दिनांक 11/02/2009 बउनवान किशन सिंह उर्फ रामकिशन बनाम रायसिंह वगैरा में पारित प्रारम्भिक डिक्री/निर्णय को निरस्त किया जावे तथा विकल्प में यह भी निवेदन है कि माननीय न्यायालय यदि उचित समझे तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के प्रकरण सं0 424/2005 में पारित अन्तिम डिक्री/निर्णय दिनांक 11/02/2009 को निरस्त कर वाद पुनः सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा को रिमाण्ड (प्रतिप्रेषित) कर आवश्यक विवाद्यक विरचित कर पूर्ण सुनवाई बाद डिक्री निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किया जाने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.05.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि जैरकार अपील डिक्री निर्णय संग्रहसार एवं प्रस्तुत दस्तावेज के विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स/प्रतिवादी नं. 01 द्वारा पेश साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। अपीलान्ट्स/प्रतिवादी नं. 01 काउन्टर वाद पेश करने से पिछले लगभग 50 वर्षों से काबिज होने पर भी इस तथ्य को नजर अन्दाज कर प्रारम्भिक डिक्री निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 के अनुसार खाता संख्या 391 में दर्ज आराजी कुल खसरा किता 11 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा के पारिवारिक सेटलमेन्ट होकर बंटवारा में 1/5 भाग प्रतिवादी नं. 01 मृतक रायसिंह पिता देवीसिंह जो अपीलान्ट्स 01 लगायत 08 के पिता तथा 09 के पति को वाद पेश करने से लगभग 50 वर्ष पूर्व ही कब्जे काश्त में मिले खसरा नम्बर 169 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा नं. 171 क्षेत्रफल 01 बीघा 19 बिस्वा का आधा भाग 1/2 भाग तथा खसरा नं. 81, 82, 83 का 1/5 भाग पर कब्जा निरन्तर रहा इस बाबत ही प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया था जिस पर मृतक प्रतिवादी नं. 01 ने अपनी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दस्वतावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया तथा अपना मनत्वय गलत देते हुए प्रतिवादी नं. 01 का प्रतिदावा खारिज करते हुए प्रारम्भिक डिक्री निर्णय पारित किया है। प्रारम्भिक डिक्री निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी नं. 01 के द्वारा पेश काउन्टर वाद इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया कि खसरा नं. 169, 171, 81, 82, 83 बाबत कब्जा होना, ऋण चुकाना, कुआँ खुदवाना बाबत कथन तो किया परन्तु दस्तावेज या स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किये इसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल कि है क्योंकि प्रतिवादी नं. 01 ने अपने बयान माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ दर्ज करवाये हैं जिसमें प्रतिवादी नं. 01 ने काउन्टर वाद के समस्त वर्णित कथनों को लिपिबद्ध करवाया है तथा वादी का उक्त सशपथ बयानों का खण्डन भी नहीं किया गया है। इस कारण प्रतिवादी नं. 01 के बयानों पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास नहीं कर कानूनी भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30/08/2008 को डिक्री पारित कर खातेदारान के हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारा करने हेतु बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जो विधि के अनुसार गलत है क्योंकि प्रतिवादी नं. 01 (मृतक) ने काउन्टर वाद पेश किया था। इस कारण माननीय न्यायालय को विधिवत सुनवाई के लिए काउन्टर वाद के आधार पर विवाद्यक विरचित किया जाना विधि के अनुसार आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने काउन्टर वाद के अनुसार विवाद्यक विरचित नहीं किया जाकर भारी कानूनी भूल की है। प्रतिवादी नं. 01 रायसिंह पिता देवाराम उर्फ देवीसिंह मीणा का स्वर्गवास हो गया है उनकी मृत्यु के पश्चात मृतक वैध वारिसान उत्तराधिकारी अपीलान्ट्सगण हैं। इनके अतिरिक्त और कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है उक्त प्रारम्भिक डिक्री/निर्णय से मृतक प्रतिवादी नं. 01 रायसिंह एवं उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट्स प्रभावित पक्षकार है तथा मौके पर विवादित आराजी का कब्जा जिसका प्रतिदावा प्रतिवादी नं. 01 ने माननीय न्यायालय में दिनांक 08/12/2005 को प्रस्तुत किया है इन खसरा नम्बरान क्षेत्रफल भाग पर अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त पिछले लगभग 50 वर्षों से निरन्तर अखण्डित चला आ रहा है जिसे क्षण मात्र को भी प्रारम्भिक डिक्री/निर्णय अथवा अन्तिम डिक्री/निर्णय पारित होने के पश्चात् भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त खण्डित नहीं किया है। इस कारण जैरकार अपील प्रारम्भिक डिक्री/निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलान्ट्स लिखित बहस प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि अपीलान्ट्स कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा के प्रकरण सं0 424/2005 में पारित प्रारम्भिक डिक्री/निर्णय दिनांक 30/08/2008 बउनवान किशन सिंह उर्फ रामकिशन बनाम रायसिंह वगैरा में पारित प्रारम्भिक डिक्री/निर्णय को निरस्त किया जाने की कृपा करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अंतिम डिक्री की लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ने अपने द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री में तहसीलदार पिड़ावा को आदेश देकर बंटवारा प्रस्ताव खातेदारान के हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारा करने हेतु बंटवारा प्रस्ताव पेश करने का आदेश दिया गया था। परन्तु तहसीलदार पिड़ावा द्वारा बंटवारा प्रस्ताव हिस्से अनुसार कुल किता 11 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा का बंटवारा प्रस्ताव प्रत्येक खसरा नम्बर के 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 कर सम्पूर्ण रकबा भूमि के पाँच हिस्से कर दिये गये जबकि अधीनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री में कब्जे अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जाना था। इस कारण तहसीलदार पिड़ावा द्वारा प्रस्तुत गलत बंटवारा को अधीनस्थ न्यायालय ने सही मानकर अन्तिम डिक्री पारित की है। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर तहसीलदार पिड़ावा उपस्थित नहीं रहे हैं तथा बंटवारा प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव पर निम्न टिप्पणी दर्ज की गई। उपरोक्त बंटवारा रिकॉर्ड के अनुसार किया गया है समस्त वादी, प्रतिवादियों को बुलाया गया वो बंटवारे से सहमत नहीं है एवं हस्ताक्षर करने से इन्कार किया।

उक्त टिप्पणी बंटवारा प्रस्ताव की पुश्त पर दर्ज की गई जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई बंटवारा रिकॉर्ड पर लिया गया तथा दिनांक 11/02/2009 को बिना आपत्ति के बंटवारे के लिए अन्तिम डिक्री पारित की गई उक्त समस्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति में की गई है उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कब्जा निरन्तर अपीलान्ट्स का चल रहा है तथा वक्त प्रारम्भिक डिक्री निर्णय भी प्रतिवादी नं. 01 एवं परिवार के सदस्यों का था। इस तथ्य को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। इस कारण जेरकार अपील अन्तिम डिक्री निरस्त होने योग्य है। अन्तिम डिक्री कानून की रोशनी में डिफेक्टिव है क्योंकि सभी खातेदारान की आपत्ति दर्ज होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने आपत्ति पर ध्यान आकर्षित नहीं कर अन्तिम डिक्री पारित की हैं। अन्तिम डिक्री के आधार पर बंटवारा जो अन्तिम डिक्री के अनुसार किया गया है। वह मौके पर पारिवारिक बंटवारा सेटलेमेन्ट के विपरीत है। जिससे मौके पर काबित काश्तकार, खातेदारान विचलित हो गये है तथा सभी को काश्त करने में भारी परेशानी उत्पन्न नहीं रही है। इस कारण जैरकार अपील अन्तिम डिक्री निर्णय खारिज होने योग्य है।

अतः अपीलान्ट्स लिखित बहस प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा के प्रकरण सं0 424/2005 में पारित अन्तिम डिक्री/निर्णय दिनांक 11/02/2009 बउनवान किशन सिंह उर्फ रामकिशन बनाम रायसिंह वगैरा में पारित अन्तिम डिक्री/निर्णय को निरस्त किया जाने की कृपा करें।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वर्तमान अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.08.2008 के विरूद्ध अपील संख्या 103/2015 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 11.02.2009 के विरूद्ध अपील संख्या 108/2015 पूर्व में न्यायालय हाजा में पेश की जा चुकी है जिन्हें न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.04.2018 से निर्णित करते हुए खारिज किया गया है। अतः वर्तमान अपील खारिज की जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अवगत कराया कि वर्तमान अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.08.2008 के विरूद्ध अपील संख्या 103/2015 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 11.02.2009 के विरूद्ध अपील संख्या 108/2015 पूर्व में न्यायालय हाजा में पेश की जा चुकी है जिन्हें न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.04.2018 से निर्णित करते हुए खारिज किया गया है। अतः वर्तमान अपील खारिज की जाये। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की फोटो प्रति पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा द्वारा प्रकरण संख्या 424/दावा/2005 में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.08.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 103/2005 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 11.02.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 108/2005 में पारित निर्णय दिनांक 03.04.2018 की प्रमाणित प्रति सलंग्न है। निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दोनों अपीलों का निस्तारण अपने निर्णय दिनांक 03.04.2018 से अंतिम रूप से करते हुए दोनों अपीलें खारिज की जा चुकी है। पूर्व में प्रस्तुत दोनों अपीले वर्तमान अपील के पक्षकार रेस्पोडेंट नं. 5 मनोहरसिंह व रेस्पोडेंट नं. 6 मोहन सिंह द्वारा अन्य पक्षकारों के विरूद्ध

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पेश की गई थी, जो न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.04.2018 से निर्णित की जा चुकी है। वर्तमान अपीले पूर्व अपील के पक्षकार रेस्पोडेंट नं. 2 रायसिंह के वारिसान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 424/2005 अन्तर्गत धारा 53, 54ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णिय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.08.2008 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 11.02.2009 के विरूद्ध पेश की गई है जो रेसजूडिकेटा के सिद्धांतों से बाधित होने के कारण खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2023/142 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री व अपील संख्या 2023/143 विरूद्ध फाइनल डिक्री रेसजूडिकेटा के सिद्धांतों से बाधित होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.08.2008 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 11.02.2009 पूर्व निर्णय के अनुसार यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/08/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2023/142
(प्राथमिक डिकी)

1. राजेन्द्रकुमार पिता रायसिंह, उम्र 52 वर्ष, जाति मीणा
2. नरेशकुमार पिता रायसिंह, उम्र 37 वर्ष, जाति मीणा
3. कोशल्याबाई पुत्र रायसिंह, उम्र 39 वर्ष, जाति मीणा
4. भूलीबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 43 वर्ष, जाति मीणा
5. भारतीबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 34 वर्ष, जाति मीणा
6. रानीबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 41 वर्ष, जाति मीणा
7. रामकन्याबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 54 वर्ष, जाति मीणा
8. सन्तोषबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 46 वर्ष, जाति मीणा
9. रामप्यारी बाई पत्नी रायसिंह, उम्र 76 वर्ष, जाति मीणा, निवासीगण कोटडी रोड़, पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज.

..... **अपीलांट**

बनाम

1. किशन सिंह उर्फ रामकिशन पिता देवाराम उर्फ देवीसिंह, जाति मीणा (मृतक)
1/1 कमलाबाई बेवा किशन सिंह, उम्र 70 वर्ष जाति मीणा, निवासी पिड़ावा
1/2 शान्तिबाई उम्र 52 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी जगदीश मीणा, जाति मीणा निवासी छत्रपुरा पांचाखेडी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
1/3 सुमित्रा बाई उम्र 48 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी राकेश मीणा, जाति मीणा, निवासी टगर मोहल्ला भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
1/4 दिनेश सिंह पुत्र किशन सिंह, उम्र 45 वर्ष, जाति मीणा, निवासी कोटडी रोड पिड़ावा थाने के पीछे, पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.
1/5 रेखा उम्र 43 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी कृष्णा, जाति मीणा, निवासी छत्रपुरा पांचाखेडी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
1/6 संजय पुत्र किशन सिंह, उम्र 36 वर्ष, जाति मीणा, निवासी कोटडी रोड पिड़ावा, थाने के पीछे पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज.
1/7 निर्मला उम्र 32 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी नन्दलाल, जाति मीणा, निवासी अमृतखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज
2. कंचनबाई बैवा दोलतसिंह, जाति मीणा
3. कृष्णाबाई पुत्री दोलतसिंह पत्नी रामप्रसाद, जाति मीणा
4. मन्जुबाई पुत्री दोलतसिंह पत्नी गोपाललाल, जाति मीणा, निवासीगण कोटडी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज
5. मनोहरसिंह पिता दोलतसिंह, जाति मीणा, निवासी पिड़ावा, तहसील पिड़ावा हाल–टगर मोहल्ला भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ राज.
6. मोहनसिंह पिता दोलतसिंह, जाति मीणा, निवासी कोटड़ी रोड़ पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज.
7. कैलाश पिता रामसिंह, जाति मीणा, निवासी कोटडी रोड़ पिडावा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज.
8. गायत्रीबाई पुत्री रामसिंह पत्नी चेनाराम, जाति मीणा, निवासी सालेडा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज.
9. गीताबाई पुत्री रामसिंह पत्नी प्रकाशचन्द, जाति मीणा, निवासी पेटभर, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज.
10. दुर्गाबाई पुत्री रामसिंह पत्नी बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी मोड़ी, तहसील सुसनेर,जिला आगर मालवा म. प्र.
11. पदमाबाई पुत्री रामसिंह पत्नी सुरेश चंद, जाति मीणा, टगर मोहल्ला भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ राज.
12. भगवतीबाई पुत्री रामसिंह पत्नी रामगोपाल, जाति मीणा, निवासी बडबेला, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज.
13. जगदीश पिता बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी कोटड़ी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज.
14. राजू पिता बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी पिड़ावा कोटड़ी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा पुराना, जिला झालावाड़ राज.
15. जसौदाबाई बैवा बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी कोटड़ी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा पुराना, जिला झालावाड़ राज.
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

.... **रेस्पोडेंट**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या 2023/143
(फाइनल डिक्री)

1.राजेन्द्रकुमार पिता रायसिंह, उम्र 52 वर्ष, जाति मीणा
2. नरेशकुमार पिता रायसिंह, उम्र 37 वर्ष, जाति मीणा
3. कोशल्याबाई पुत्र रायसिंह, उम्र 39 वर्ष, जाति मीणा
4. भूलीबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 43 वर्ष, जाति मीणा
5. भारतीबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 34 वर्ष, जाति मीणा
6. रानीबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 41 वर्ष, जाति मीणा
7. रामकन्याबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 54 वर्ष, जाति मीणा
8. सन्तोषबाई पुत्री रायसिंह, उम्र 46 वर्ष, जाति मीणा
9. रामप्यारी बाई पत्नी रायसिंह, उम्र 76 वर्ष, जाति मीणा, निवासीगण कोटडी रोड़, पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज.

..... अपीलांट

1. किशन सिंह उर्फ रामकिशन पिता देवाराम उर्फ देवीसिंह, जाति मीणा (मृतक)
1/1 कमलाबाई बेवा किशन सिंह, उम्र 70 वर्ष जाति मीणा, निवासी पिड़ावा
1/2 शान्तिबाई उम्र 52 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी जगदीश मीणा, जाति मीणानिवासी छत्रपुरा पांचाखेडी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
1/3 सुमित्रा बाई उम्र 48 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी राकेश मीणा, जाति मीणा, निवासी टगर मोहल्ला भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
1/4 दिनेश सिंह पुत्र किशन सिंह, उम्र 45 वर्ष, जाति मीणा, निवासी कोटडी रोड पिड़ावा थाने के पीछे, पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.
1/5 रेखा उम्र 43 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी कृष्णा, जाति मीणा, निवासी छत्रपुरा पांचाखेडी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़
1/6 संजय पुत्र किशन सिंह, उम्र 36 वर्ष, जाति मीणा, निवासी कोटडी रोड पिड़ावा, थाने के पीछे पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज.
1/7 निर्मला उम्र 32 वर्ष पुत्री किशन सिंह पत्नी नन्दलाल, जाति मीणा, निवासी अमृतखेडी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज
2. कंचनबाई बैवा दोलतसिंह, जाति मीणा
3. कृष्णाबाई पुत्री दोलतसिंह पत्नी रामप्रसाद, जाति मीणा
4. मन्जुबाई पुत्री दोलतसिंह पत्नी गोपाललाल, जाति मीणा, निवासीगण कोटडी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज
5. मनोहरसिंह पिता दोलतसिंह, जाति मीणा, निवासी पिड़ावा, तहसील पिड़ावा हाल–टगर मोहल्ला भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ राज.
6. मोहनसिंह पिता दोलतसिंह, जाति मीणा, निवासी कोटड़ी रोड़ पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज.
7. कैलाश पिता रामसिंह, जाति मीणा, निवासी कोटडी रोड़ पिडावा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज.
8. गायत्रीबाई पुत्री रामसिंह पत्नी चेनाराम, जाति मीणा, निवासी सालेडा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राज.
9. गीताबाई पुत्री रामसिंह पत्नी प्रकाशचन्द, जाति मीणा, निवासी पेटभर, तहसील सुनेल, जिला झालावाड़ राज.
10. दुर्गाबाई पुत्री रामसिंह पत्नी बद्रीलाल, जाति मीणा, निवासी मोड़ी, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा म. प्र.
11. पदमाबाई पुत्री रामसिंह पत्नी सुरेश चंद, जाति मीणा, टगर मोहल्ला भवानीमण्डी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ राज.
12. भगवतीबाई पुत्री रामसिंह पत्नी रामगोपाल, जाति मीणा, निवासी बडबेला, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज.
13. जगदीश पिता बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी कोटड़ी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़ राज.
14. राजू पिता बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी पिड़ावा कोटड़ी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा पुराना, जिला झालावाड़ राज.
15. जसौदाबाई बैवा बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी कोटड़ी रोड़ पिड़ावा, तहसील पिड़ावा पुराना, जिला झालावाड़ राज.
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील नं. **2023/142 व 2023/143**
मु.द.नं **424/2005**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत –**उपखण्ड अधिकारी,पिड़ावा**
निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक **30.08.2008**
एवं अन्तिम डिक्री **11.02.2009**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 04 माह 07 सन् 2025

हाजरी **श्री हुकम चन्द कुमावत** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री तंवर सिंह झाला** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं.13, 14, 15 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2023/142 विरूद्ध प्राथमिक डिक्री व अपील संख्या 2023/143 विरूद्ध फाइनल डिक्री रेसजूडिकेटा के सिद्धांतों से बाधित होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.08.2008 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 11.02.2009 पूर्व निर्णय के अनुसार यथावत रखे जाते हैं।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 01 माह 08 सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)